न्यायालय श्रीमान [redacted] महोदय [redacted] संभाग उज्जैन (म.प्र.)

प्र.क्र /निगरानी/2012-13

853-I/13

1. लक्ष्मीनारायण पिता बैजनाथ उम्र 48 वर्ष धंधा कृषि
2. ललित पिता चतुर्भुज उम्र 30 वर्ष धंधा कृषि
दोनो जाति कुलमी निवासी गणेशपुर तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

----प्रर्थीगण

विरूद्ध

1. चेतनप्रसाद पिता कुंवरजी उम्र 48 वर्ष धंधा कृषि
2. भागीरथ पिता केवलराम उम्र 67 वर्ष धंधा कृषि
दोनो जाति कुलमी निवासी गणेशपुर तहसील कालापीपल जिलास शाजापुर म.प्र.

----विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एम.पी.एल.आर.सी. 1959

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर म.प्र. के प्र.क्र. 20 निगरानी 2012-13 एवं न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील कालापीपल के प्र.क्र. 4 अ 13/09-10 मे पारीत अंतरिम आदेश दिनांक:- 4.7.2011 से व्यथीत होकर हतीम निगरानी आदेश दिनांक:- 08.02.2013 अन्दरम्याद (समयावधि मे) प्रस्तुत हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है।

1. यह कि, विपक्षीगण 1 0 2 द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तह. कालापीपल जिला शाजापुर (म.प्र.) के न्यायालय मे प्र.क्र. 4 अ 13 / 2009-10 दिनांक:- 11.01.2010 अंतर्गत धारा 131, 132, 133, 134 म.प्र.भु. राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत करके निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गणेशपुर स्थिति सर्वे क्र.

निर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-853-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४.५.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	